


# फर्द अहकाम

मालय A.D.M.-J.R.  
हरदेवराम बनाम तहसीलदार कि.रेनवाल

दमा संख्या/वर्ष : 12/2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	२२.०२.२५	<p>रजिस्ट्रार (ग्राम-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवसृजित जिला जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किया गया है जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के आदेश दिनांक 23.08.2023 की पालना में पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, तृतीय जयपुर में स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। वकील <del>पत्रावली</del> उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली पेश हुई। पूर्व लिखित पत्रावली दिनांक २.०५.२५ को पेश हो।</p>	
	25.5.24	<p>सी.डी.एस. जयपुर के आदेश दिनांक 16.5.24 के अनुसार पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकन जयपुर (ग्रामीण) उपस्थित। सी.डी.एस. अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्थान में व्यक्त है। अतः पत्रावली पत्रावली दिनांक 16.5.24 पेश हो।</p>	
	16.5.24	<p>पत्रावली पेश हुई। निगामी कार की ओर से कोई अपील नहीं। जो निगामी कार तहसीलदार की ओर से पेश उपलब्ध सि.डी.एस. तहसीलदार दिनांक 23.5.24 को पेश हो।</p>	
	23.5.24	<p>अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर पत्रावली पेश हुई। निगामी कार की ओर से कोई अपील नहीं। का.प्र.वा. आवाज दिनांक 23.5.24 के अनुसार अनुपस्थित में भी अनुपस्थित रहे हैं इसमें जाहिर है प्रक.वा. में आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अतः निगामी कार आदेशिका आमतान के अनुसार अनुपस्थित रहने पर निगामी कार आदेशिका आदेशिका की मदद पर सी.डी.एस. जयपुर द्वारा आदेश 3 निगामी कार के अंतर्गत जारी की जाती है।</p>	

  
 अतिरिक्त कलक्टर  
 (तृतीय) जयपुर